न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 95/2019 निर्णय दिनांक :– 02.7.19

उनवान

1. घीस्या उर्फ घासी पुत्र कल्याण

2. गोपाल पुत्र कल्याण समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी– ग्राम मलवा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान,।

––वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, जिला जयपुर राज. ।

––प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी. निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

वादीगण का वादपत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया :–

वादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 82 रकबा 0.35 है0 खसरा नंबर 83 रकबा 0.55है0 खसरा नंबर 89 रकबा 0.53 है0 खसरा नंबर 161 रकबा 0.34 है0 खसरा नंबर 162 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम मलवा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित रही। [illegible] खातेदारी सहवन से गोमा पुत्री काना पत्नि मन्ना [illegible] के नाम से [illegible] रिकार्ड में दर्ज हो गई। विवादित आराजी में वादीगण का 1/2 [illegible] तथा 1/2 भाग भूरा पुत्र बिरदा का रहा, विवादित आराजी वादीगण की पैतृक संपत्ति [illegible] जिसमें वादीगण का जन्म जात हित रहा। विवादित आराजी के 1/12 हिस्से की आराजी को श्रीमती गोमा नें बेईमानी पूर्वक अपने नाम लगवाली तथा 1/12 हिस्से को दिनांक 07.11.2008 श्रीमती कुन्दनी देवी पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

पांचू राम जाति बागडा ब्राहम्ण को बेचान कर दी तथा विक्रय के पश्चात श्रीमती कुन्दनी ने विक्रय पत्र आंधार पर स्वंय के नाम से नामान्तकरण भरा कर तस्दीक करा लिया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं होने दी। वादीगण को श्रीमती गोमा व श्रीमती कुन्दनी द्वारा कराये गये विक्रय पत्र की जानकारी दिनांक 05.12.2008 को हुई तथा वादीगण ने माननीय जिला न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के समक्ष व वाद सं. 370/2008 उनवान घासी बनाम श्रीमती गोमा वगै. प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय दिनांक 14.08.2018 को हो गया। जिसमें माननीय न्यायालय ने वादीगण का 1/12 हिस्से में से 1/2 हिस्सा माना है तथा 1/2 हिस्से तक विक्रय पत्र को निष्प्रभावी किया है। दौराने दावा सिविल न्यायालय में श्रीमती कुन्दनी ने भूमि वादग्रस्त का विभाजन करा लिया जिसके तहत खसरा नंबर 83/1 रकबा 0.27 है0 खसरा नंबर 161/2 रकबा 0.33 है0 खसरा नंबर 162 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 है0 कुन्दनी व दीगर काश्ताकारों के हिस्से में भूमि आयी जिसमें से कुन्दनी का 1/3 दर हिस्सा 55/82 रहा। वादीगण ने निर्णय दिनांक 14.02.2018 की प्रति दिनांक 27.09.2018 को खाता दुरूस्त करने एवं जमाबंदी में वादीगण का नाम अंकित करने बाबत कहा तो प्रतिवादी ने समक्ष न्यायालय में चारा जोही करने बाबत कहा इसलिये श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ। विवादित आराजी के वादीगण जरिये डिक्रीधारी खातेदार काश्तकार है जिनको उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का व प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वाद की सुनवाई व निस्तारण का अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। वाद बहक वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी भूमि खसरा नंबर 81/1, 161/2, 162 कुल किता 03 कुल रकबा 0.82 है0 [illegible], तहसील चाकसू, जिला जयपुर में वादीगण को श्रीमती कुन्दनी [illegible] पांचूराम के हिस्से 1/3 दर हिस्सा 55/82 में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पेश हुआ जो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि :—

प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से प्रेषित जवाब सरकार निम्न प्रकार हैः— मद संख्या 1 के कम में यह है कि ग्राम मलवा के ख0 नं0 82 रकबा 0.55 है0 खसरा नम्बर 89 रकबा 0.53 है0 खसरा नम्बर 161 रकबा 0.34 है0 खसरा नम्बर 162 रकबा 0.22 है0 किता 5 रबा 32.19 है0 में नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 05.11.2008 द्वारा जरिये विरासत काना पुत्र बिरधा हि0 1/12 के स्थान पर गोमा देवी पुत्री काना हि0 1/12 जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 देह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। मद संख्या 2 के क्रम में प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें, शेष में नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 21.11.2008 जरिये विक्रय पत्र गोमा देवी पुत्री काना हि0 1/12 के स्थान पर कुन्दनी देवी पत्नि पांचूराम हि0 1/12 जाति बागडा सा0 देह के नाम दर्ज हुआ। मद संख्या 3 वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करे। मद संख्या 4 के क्रम में वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073—76 ग्राम मलवा के अनुसार खसरा नम्बर 83/1 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 161/2 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर 162 रकबा 0.22 है0 किता 3 रकबा 0.82 है0 की खातेदारी नाथूलाल पुत्र छोटू जगन्नाथी पत्नि छोटू हि0 2/9 राहिन रा0म0ग्रा0 बैंक शाखा शिवदासपुरा बाबूलाल पुत्र छोटू हि0 1/9 घीस्या गोपाल पिता कल्याण हि0 1/3 कुन्दनी देवी पत्नि पांचूराम हि0 1/3 दर हिस्सा 55/82 कौम बागडा ब्राहम्ण सा0 देह प्रेम कुमार शर्मा पुत्र तेजमल शर्मा, चन्द्रमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी सिद्धार्थ नगर मालवीय नगर जयपुर हि0 27/82 के नाम दर्ज [illegible] खसरा नम्बर के क्रम में नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक [illegible] तथा 134 दिनांक 15.05. 2015 जरिये डिकी तकसीमा में कुन्दनी देवी पत्नि पांचू हि0 1/3 दर हिस्सा 55/82 दर्ज रिकार्ड रहा। मद संख्या 5 का प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करे। मद संख्या 6 से 8 कानूनी है। मद संख्या 9 (क) से (ख) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय दिनांक 14.8.18 श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय, जयपुर के अनुसार दावा वादी प्रार्थी के पक्ष में डिकी फरमाया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में जमाबंदी संवत 2079–76 खाता संख्या 45, निर्णय प्रति जिला न्यायाधीश महोदय जयपुर जिला दिनांक 14.08.18 विक्रय पत्र की फोटो प्रति, पेश की जो बतौर दस्तावेज पेश किये गये।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब सरकार एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो विवादित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा रहा तथा 1/2 भाग भूरा पत्र विरधा का रहा, वादीगण की वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि रही है जिसमें वादीगण का जन्मजात हित निहित है। वादग्रस्त आराजी का 1/12 हिस्से की आराजी श्रीमती गोमा ने बेईमानी पूर्वक अपने नाम लगवाली तथा 1/12 हिस्से को 07.11.2008 को श्रीमती कुन्दनी देवी ने पांचूराम ब्राहम्ण को बेचान कर दी, अन्य विक्रय पत्र के आधार पर कुन्दनी ने स्वयं के नाम नामान्तकरण कराकर तस्दीक करा लिया, जो विक्रय पत्र वादीगण के हक में शून्य होती की वजह से जिला न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 370/08 घासी बनाम गोमा वगै0 का पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय में वादीगण का 1/12 हिस्से में से 1/2 हिस्सा माना तथा 1/2 हिस्से तक विक्रय पत्र को निष्प्रभावी किया। श्रीमती कुन्दनी ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन करा लिया जिसके तहत खसरा नम्बर 83/1 रकबा 0.27 है0 161/2 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर 162 रकबा 0.22 है0 किता 2 रकबा 0.82 हे0 कुन्दनी व दीगर काश्तकारों के [illegible] आयी जिसमें कुन्दनी का हिस्सा 1/3 दर हिस्सा [illegible] प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार निर्णय जिला न्यायाधीश [illegible] जयपुर के अनुसार श्रीमती कुन्दनी देवी के हिस्से में से वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 81/1, 161/2, 162 किता 3 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम मलवा तहसील चाकसू में वादीगण को श्रीमती कुन्दनी देवी पत्नि पांचूराम के हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 55/82 में से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा पूर्वानुसार रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested